कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–1145 सा0प्र0 / 2019–16टीआर / 2019   लखनऊ दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

1– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन),
उत्तर प्रदेश।

विषय : "प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र(Authorised Testing Station)" द्वारा स्वस्थता प्रमाण–पत्र निर्गत करने की मान्यता हेतु प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–56(1) में यह प्राविधान किया गया है कि वाहनों का स्वस्थता परीक्षण प्रमाण–पत्र प्राधिकृत अधिकारी के अतिरिक्त "प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र(Authorised Testing Station)" द्वारा भी निर्गत किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा–56(2) के अनुसार "प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र(Authorised Testing Station)" से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिकृत ऐसे संस्थानों से है, जहां पर स्वचालित स्वस्थता परीक्षण की सुविधा उपलब्ध हो। प्रदेश में "प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र(Authorised Testing Station)" को अधिकृत करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि "प्राधिकृत परीक्षण केन्द्रों (Authorised Testing Stations)" के आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार आवश्यक परीक्षण कर प्रत्येक आवेदन पत्र के सम्बन्ध में पृथक–पृथक आख्या एवं संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त् "प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र" विनिर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

अतः इस कार्यालय के पत्र संख्या–1315स०सु० / 2016–55स०सु० / 2013, दिनांक 12.08.2016 द्वारा पूर्व में "प्राधिकृत परीक्षण केन्द्रों" के सम्बन्ध में आवेदन पत्र आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये थे। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों तथा "प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र(Authorised Testing Station)" की स्थापना हेतु प्राप्त होने वाले नये आवेदन पत्रों पर संलग्न दिशा–निर्देशों के क्रम में परीक्षण कर अपनी आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इन केन्द्रों को अधिकृत करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से समुचित निर्णय लिया जा सके।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(धीरज साहू),
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ०सं० : 1144 (1)सा०प्र० / 2019–समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग–4 को उनके पत्र संख्या–1737 / तीस–4–2019, दिनांक 19.12.2019 के क्रम में सूचनार्थ।

2– समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।

3– सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (आई०टी०), मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

4– गार्ड फाइल।

(ए० के० पाण्डेय),
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व),
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय ज्ञाप संख्या–1144 सा०प्र०/2019–16टीआर/2019, दिनांक 31-12-2019 का संलग्नक

1– "प्राधिकृत परीक्षण केन्द्रों" की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी :–

1.1– हल्के मोटरयानों हेतु ऐसे केन्द्र पर न्यूनतम एक लेन लाइट ड्यूटी लेन (LD Lane) होगी, जिस पर हल्के वाहनों की फिटनेस हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित किये जायेंगे।

1.2– भारी मोटरयानों हेतु ऐसे केन्द्र पर न्यूनतम एक लेन "हेवी ड्यूटी लेन" (HD Lane) होगी, जिस पर भारी एवं मध्यम वाहनों की फिटनेस हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित किये जायेंगे।

1.3– हल्के एवं भारी वाहनों हेतु 'परीक्षण केन्द्र' पर स्थापित की जाने वाली न्यूनतम एक लेन "लाइट ड्यूटी लेन" (LD Lane) एवं न्यूनतम एक "हैवी ड्यूटी लेन" (HD Lane) होगी जिस पर हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों की फिटनेस हेतु आवश्यक उपकरण पृथक–पृथक लेन में स्थापित किये जायेंगे।

1.4– हल्के एवं भारी वाहनों के परीक्षण हेतु एक कॉम्बो लेन होगी जिस पर हल्के एवं भारी वाहनों की स्वस्थता प्रमाण–पत्र की जांच हेतु आवश्यक उपकरण एक ही लेन में स्थापित किये जायेंगे।

2– **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया** :–

2.1– प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में उल्लिखित प्रारूप 40 पर आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन के साथ नियम–81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस जमा करने की रसीद एवं प्रतिभूति के रूप में एक लाख रूपये की "फिक्स डिपोजिट" का प्रमाण संलग्न किया जायेगा जिसे पंजीयन प्राधिकारी के पक्ष में बंधक किया जायेगा।

2.2– आवेदक को विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न, पैनकार्ड व जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

2.3– अर्हताएँ :–

प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के आवेदक या उसके स्टाफ के किसी एक सदस्य (जो कि वाहनों की जांच कर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियोजित किया गया है) के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतायें होना आवश्यक है :–

(क) मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान द्वारा प्रदत्त ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष या उच्चतर शैक्षणिक योग्यता।

(ख) किसी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में भारी माल वाहनों, भारी यात्री वाहनों, मध्यम मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के निरीक्षण/रिपेयर का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।

(ग) मोटर साइकिल, हल्का मोटरयान, भारी यात्री एवं भार वाहनों को चलाने के लिए कम से कम 5 वर्ष की चालन अनुज्ञप्ति हो।

(घ) अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों विशेष कर मोटर वाहनों के रजिस्ट्रीकरण और मोटर वाहनों के संनिर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण से सम्बन्धित अध्यायों, का पूर्ण ज्ञान।

2.4– केन्द्र का परिसर :–

(क) परिसर की भूमि कम से कम एक एकड़ हो।

(ख) भूमि या तो आवेदक के नाम पर हो या उसके द्वारा लीज/किराये पर ली गयी हो,

(ग) उक्त परिसर में प्रशासनिक अनुभाग, स्वागत कक्ष और सैनेट्री ब्लाक एवं टेस्टिंग इक्यूपमेंट की स्थापना करने के लिए पर्याप्त स्थान हो,

2.5– इन्स्पेक्सन लेन में टेस्टिंग इक्यूपमेन्ट **Annexure-B** के अनुसार स्थापित किये जायेंगे।

2.6– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–62 के अन्तर्गत निर्धारित जांचों हेतु आवश्यक उपकरण यथा–रोलर ब्रेक टैस्टर, साईड स्लिप टैस्टर, सस्पेन्सन टैस्टर, हैड–लैम्प टैस्टर, स्पीडोमीटर टैस्टर, ज्वाईंट प्ले टैस्टर, व्हील एलाईनर सीसीडी/टॉइबार, डीजल स्मोक मीटर (ओपेसिटी मीटर), गैसलीन एनालाईजर स्थापित किये जायेंगे। उपकरणों की स्थापना व कमीशनिंग के सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 126 में विर्निदिष्ट किसी जांच एजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

2.7– परिसर में वाहनों के प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक–पृथक द्वार हो, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित ना हो।

2.8– आवेदक द्वारा अधिनियम, नियम एवं समय–समय पर होने वाले संशोधनों एवं

उत्तर प्रदेश शासन तथा परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.9– आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि आवेदन पत्र में अंकित सभी विवरण सत्य है तथा शासन व परिवहन आयुक्त द्वारा जो भी निर्देश दिये जायेंगे उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– **प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया** :–

3.1– सम्भागीय परिवहन अधिकारी अपने सम्भाग के अर्न्तगत स्थापित होने वाले ऐसे केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने हेतु पंजीयन अधिकारी(Registering authority) होंगे।

3.2– आवेदन पत्र के परीक्षण हेतु केन्द्र का निरीक्षण निम्नलिखित तीन सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगाः–

1. सम्बन्धित जनपद का सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)।
2. सम्बन्धित परिक्षेत्र के मुख्यालय पर तैनात सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) अथवा उसके तैनात न होने की स्थिति में सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा नामित तकनीकी संवर्ग से प्रोन्नत कोई सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी।
3. सम्बन्धित जनपद में तैनात सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक) (जनपद में एक से अधिक सम्भागीय निरीक्षक तैनात होने की दशा में वरिष्ठतम सम्भागीय निरीक्षण (प्राविधिक))।

3.3– आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रस्तर 3.2 में गठित समिति द्वारा एक सप्ताह के अन्दर केन्द्र का निरीक्षण कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा Annexure A पर पंजीयन अधिकारी को निरीक्षण तिथि से 03 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा।

3.4– समिति की आख्या प्राप्त होने पर संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा उल्लिखित अर्हताओं के पूर्ण होने से संतुष्ट होने पर अपनी संस्तुति एक सप्ताह के भीतर परिवहन आयुक्त के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

3.5– शासन को आख्या प्रेषित करने के पूर्व सम्बन्धित संस्थान में स्थापित मशीन/उपकरणों का निरीक्षण केन्द्रीय मोटरयान नियमवाली के नियम 126 में विर्निदिष्ट किसी संस्था से कराकर पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत

किया जायेगा।

3.6 शासन द्वारा अधिकृत करने का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् पंजीयन अधिकारी द्वारा ''प्रधिकार पत्र'' केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में उल्लिखित प्रारूप–39 पर निर्गत किया जायेगा।

4– **प्राधिकार पत्र की वैधता** :–

प्राधिकार पत्र स्वीकृत या नवीनीकरण की दशा में स्वीकृति या नवीनीकरण की तिथि से पांच वर्षों की अवधि हेतु वैध होगा।

5– **प्राधिकार पत्र धारक के अनुपालन हेतु सामान्य शर्तें** :–

प्राधिकार पत्र के धारक द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 65 में उल्लिखित समस्त शर्तों, निम्नलिखित निर्देशों एवं समय–समय पर जारी अन्य विभागीय दिशा–निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा :–

5.1– ''प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र'' द्वारा वाहन 4.0 साफ्टवेयर के माध्यम से स्वस्थता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को एन०आई०सी० द्वारा वाहन 4.0 पर आवश्यकतानुसार एक्सेस प्रदान किया जायेगा।

5.2– परिवहन कार्यालय की भांति ''प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र (Authorised Testing Station)'' से भी वाहन का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक वाहन 4.0 के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फिटनेस समाप्ति की तिथि से 45 दिन पूर्व की कोई भी तिथि चयन करते हुए निर्धारित फीस ऑनलाइन जमा कर सकेगा। वाहन स्वामी वाहन 4.0 पोर्टल से ही आवेदन से सम्बन्धित फार्म, वाहन निरीक्षण की तिथि की निर्धारण की स्लिप, ई–फीस की रसीद प्रिन्ट कर निर्धारित तिथि पर परीक्षण केन्द्र के समक्ष निरीक्षण हेतु वाहन प्रस्तुत करेगा। वाहन की निरीक्षण आख्या उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के प्रारूप एस0आर0–12 पर प्रस्तुत की जायेगी।

5.3– ''प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र'' में वाहनों का स्वस्थता परीक्षण वहां पर स्थापित मशीनों द्वारा किया जायेगा। अतः केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–81 के अन्तर्गत वाहनों के स्वचालित परीक्षण के लिए निर्धारित शुल्क की देयता होगी।

5.4– स्वस्थता प्रमाण–पत्र निर्गत करने के समय निरीक्षण फीस एवं निर्गत करने की फीस के साथ यदि कोई विलम्ब शुल्क देय है तो ऐसी स्थिति में निरीक्षण फीस एवं निर्गत करने की फीस की देयता प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को एवं विलम्ब शुल्क परिवहन विभाग देय होगा।

5.5— प्रश्नगत प्रकरण में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हेतु Authorized Testing Station को पृथक से बैंक अकाउण्ट खोलना अनिवार्य होगा।

स्पष्टीकरण संख्या—1 :— *(समस्त शुल्क शास्ति सहित प्रथमतः पूल अकाउण्ट में जमा होगा तदोपरान्त वाहन के निरीक्षण शुल्क एंव स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्गत करने का शुल्क सम्बन्धित "प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र"* (Authorized Testing Station) *के खाते में स्थानान्तरित किया जायेगा तथा शास्ति की समस्त धनराशि परिवहन विभाग के खाते में जमा होगी।*

5.6— प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र (Authorized Testing Station) द्वारा स्वस्थता प्रमाण—पत्र केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—62(1) के अन्तर्गत निर्धारित फार्म—38 पर निरीक्षण की तिथि को अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से ही निर्गत किया जाये।

5.7— प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र (Authorized Testing Station) द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—65(क) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक वाहन हेतु पृथक—पृथक पृष्ठ आंवटित किया जायेगा। प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र में स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आने वाली वाहन का चेसिस छाप, एस0आर0—12 तथा निर्गत किये गये सर्टिफिकेट की आफिस कापी अभिलेखार्थ पत्रावली पर सुरक्षित रखी जायेगी।

5.8— "प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र (Authorized Testing Station)" पर स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु आने वाले वाहनों का विवरण निम्न प्रारूप में प्रतिदिन सुरक्षित रखा जायेगाः—

क्र0 सं0	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन आने का समय	चालक का नाम / मो0नं0	वाहन जाने का समय	तकनीकी निरीक्षण का परिणाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

उक्त विवरण इलैक्ट्रानिकली सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी को माह की समाप्ति के बाद दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

5.9— केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—65 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र अपने मुख्य कार्यालय में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर निम्न विवरण प्रदर्शित करेगाः—

(क) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को जारी

किया गया मूल प्राधिकार पत्र;

(ख) फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण करने के लिए वाहन की जांच कर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत तकनीकी व्यक्ति का नाम और पता;

(ग) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 63 के उप नियम (3) के खण्ड (a) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की अर्हताएं।

5.10– वाहनों की जांच के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 63 (3) (ए) के प्राविधानानुसार जॉच केंद्र पर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति का मौजूद होना आवश्यक है।

5.11– प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के संचालक द्वारा वाहनों की स्वस्थता जांच एवं फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए नियुक्त तकनीकी व्यक्ति (कर्मचारी) को विधिवत नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा। प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के संचालक द्वारा नियुक्त तकनीकी व्यक्ति का Speciman Signature अनुमोदित कर उसकी प्रति प्राधिकार पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी एवं सम्बन्धित जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को उपलब्ध कराया जायेगा।

5.12– फिटनेस जांच के लिए नियुक्त तकनीकी व्यक्ति (कर्मचारी) की अनुपस्थिति/अवकाश अथवा प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र छोड़ने की स्थिति में उसके स्थान पर निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले व्यक्ति (कर्मचारी) की नियुक्ति उपरोक्त प्रस्तर 6.11 के अनुसार की जाएगी एवं उसके Speciman Signature को भी अनुमोदित कर उसकी प्रति प्राधिकार पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी एवं सम्बन्धित जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को उपलब्ध कराया जायेगा।

5.13 स्वस्थता प्रमाण–पत्र खो जाने, नष्ट हो जाने अथवा अन्य स्थिति में स्वस्थता प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम–43 (2) में प्राविधानित शुल्क लेकर सम्बन्धित प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा जारी की जायेगी।

5.14– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 65 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकार पत्र में उल्लिखित कार्य स्थान को शासन के लिखित अनुमति के बिना नहीं बदला जा सकेगा।

5.15– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 65 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के परिसर, वहां रखे जाने वाले अभिलेख एवं परिसर

में लगी हुई मशीन एवं उपकरण को परिवहन आयुक्त/उप परिवहन आयुक्त/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के निरीक्षण हेतु खुला रखा जायेगा।

5.16– प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र का क्षेत्राधिकार वह जनपद होगा, जहाँ केन्द्र मूल रूप से स्थापित है।

5.17– प्राधिकृत परीक्षण केन्द्रों पर सीसीटीवी द्वारा लाइव कवरेज की व्यवस्था होगी तथा एक माह की रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जायेगी। प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र पर वाहनों की जांच को सीधे देखने हेतु जनपद के परिवहन कार्यालय में लिंक उपलब्ध कराया जायेगा।

6– **प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाना**– प्राधिकार पत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण होने के 30 माह पश्चात प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र की मशीनरी तथा कार्यप्रणाली को 3rd पार्टी ऑडिट केन्द्रीय मोटयान नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत विर्निदिष्ट एजेन्सियों से कराया जायेगा। ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

7– **परिसर में वाहन की जॉच मे सहायता हेतु प्रशिक्षित ड्राइवर रखना**– प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र परिसर में वाहन का संचालन प्रशिक्षित ड्राइवर द्वारा ही किया जायेगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित ड्राइवरों को रखा जाना आवश्यक होगा।

8– **परीक्षण केन्द्र पर वाहन फिटनेस जांच हेतु चेक लिस्ट**– प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र पर प्राधिकृत परीक्षण हेतु आने वाले वाहनों को Annexure C के अनुसार वाहन स्वामी/चालक से प्री–इन्स्पेक्सन चैक लिस्ट प्राप्त किया जाना होगा।

9– **प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण**– प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा पूर्व अवधि में समस्त नियमों, दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालन किया गया है या नहीं। नवीनीकरण से पूर्व केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–126 में उल्लिखित संस्था से निरीक्षण रिपोर्ट भी प्राप्त करेगा एवं उसके संतोषजनक होने की दशा में ही नवीनीकरण किया जायेगा।

10– **केंद्र के निर्बाध संचालन हेतु जेनसेट की भी व्यवस्था**– प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र पर लगी हुई मशीनों की अपेक्षा अनुसार बिजली बाधित होने की स्थिति में निर्बाध रूप से कार्य संचालन हेतु अपेक्षित क्षमता का जनरेटर सेट लगाया जाना आवश्यक होगा जिससे की केन्द्र पर स्थापित सभी उपकरणों का संचालन निर्बाध रूप से किया जा सके।

11– प्राधिकार पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने पर केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–66 में प्राविधानित प्रक्रिया के क्रम में निर्गत की जायेगी।

Annex-A

<u>नए/नवीनीकरण/सम्मिलितिकरण आवेदन की जांच हेतु चैक लिस्ट</u>

1. प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र का नाम एवं पता..
2. प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के संचालक का नाम..
3. वाहन की फिटनेस हेतु जांच करने वाले व्यक्ति का नाम..........................
4. वाहन जांच हेतु अधिकृत व्यक्ति श्री..के

(i) ऑटो मोबाईल अथवा मेकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के विवरण की रिपोर्ट मय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के:–

....

(ii) भारी माल वाहन, भारी यात्री वाहन, मध्यम वाहन तथा हल्के वाहनों की मरम्मत करने वाले ऑटोमोबाईल वर्कशॉप/केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग या राजकीय उपक्रम में वाहन निरीक्षण/रिपेयर में न्यूनतम पांच साल की सेवा के अनुभव के विवरण की रिपोर्ट मय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के :

....

(iii) मोटरसाईकिल, भारी यात्री वाहन तथा भारी माल वाहन चलाने का लाईसेंस न्यूनतम पांच वर्ष का चालन अनुभव के विवरण की रिपोर्ट मय लाईसेंस की सत्यापित प्रति के :–

....

(iv) मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की सम्पूर्ण जानकारी विशेषकर वाहन पंजीयन तथा वाहन निर्माण, उपकरण तथा रख–रखाव सम्बन्धी अध्याय के सम्बन्ध में:– (जांच हेतु अधिकृत किये जाने वाले व्यक्ति से व्यक्तिशः साक्षात्कार लेने के उपरान्त यह टिप्पणी अंकित की जाय कि उस व्यक्ति को उपरोक्त विषय का आवश्यक ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति का नाम भी रिपोर्ट में अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात निम्न पर टीक (√) लगावें)

5. (i) प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र परिसर के भूखण्ड की साईज लम्बाई..........मीटर,

चौड़ाई.......मीटर,

क्षेत्रफल.......वर्ग मीटर

(साइट प्लान की प्रति संलग्न की जाय।)

(ii) भूखण्ड परिसर आवेदक के नाम रजिस्टर्ड अथवा किराये/लीज पर लिया गया है, की स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जाये तथा साक्ष्य के रूप में रजिस्ट्री एवं किरायेनामे/लीज की प्रति भी संलग्न किये जाये। ....

(iii) प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र की एप्रोच रोड न्यूनतम 12 मीटर चौडी है– हां/नहीं

6. प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र परिसर में प्रशासनिक अनुभाग, स्वागत कक्ष एवं सेनेट्री ब्लाक के स्तरीय निर्माण की रिपोर्ट अंकित की जावे एवं साक्ष्य के रूप में भीतरी व बाहरी परिदृश्य (Structure) की प्रमाणित फोटो संलग्न करें।

7. टेस्टिंग स्टेशन में वाहन की जांच हेतु किस श्रेणी के वाहन हेतु inspection Lane का निर्माण किया हुआ है, की स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की जाय एवं तत्पश्चात् निम्न श्रेणियों को टिक (√) किया जाये।

हल्के वाहन/भारी वाहन/हल्के व भारी दोनों श्रेणी के वाहन

(फोटो संलग्न करें)

फोटो चिपकाएं

8. वाहनों की जांच हेतु जांच स्टेशन द्वारा स्थापित किये गये Equipment and Apparatus का विवरण :–

Common equipments

क्र. सं	उपकरण का नाम	उपकरण निर्माता कम्पनी का नाम	बिल नं0 व दिनांक	मूल्य	उपकरण की कैलीबरेशन दिनांक / कैलीबरेशन कर्ता का नाम एवं जारी प्रमाण–पत्र का विवरण
1.	कम्प्यूटर प्रिंटर सहित				
2.	फी व्हील ट्रोली				
3.	कैलिब्रेशन इक्विपमेन्ट सेट				
4.	ऑटोमेटिक टाइप प्रेशर फिल्टर एण्ड इडन्डकेटर				
5.	डिजिटल कैमरा ऑनलाईन कनेक्टिविटी सहित				
6.	सर्वर, सीसीटीवी, ऑडियोपेजिंग, लेन नेटवर्क				
7.	टूल सैट				
8.	एयर कम्प्रेसर				
9.	जनरैटर				

Light Motor Vehicle Lane

क्र. सं	उपकरण का नाम	उपकरण निर्माता कम्पनी का नाम	बिल नं0 व दिनांक	मूल्य	उपकरण की कैलीबरेशन दिनांक / कैलीबरेशन कर्ता का नाम एवं जारी प्रमाण–पत्र का विवरण
	कम्प्यूटर प्रिंटर सहित				
2.	फ्री व्हील ट्रोली				
3.	कैलिब्रेशन इक्विपमेन्ट सेट				
4.	ऑटोमेटिक टाइप प्रेशर फिल्टर एण्ड इन्डकेटर				
5.	डिजिटल कैमरा ऑनलाईन कनेक्टिविटी सहित				
6.	सर्वर, सीसीटीवी, ऑडियोपेजिंग, लेन नेटवर्क				
7.	टूल सैट				
8.	एयर कम्प्रेसर				
9.	जनरैटर				

Heavy Motor Vehicle Lane

क्र. सं	उपकरण का नाम	उपकरण निर्माता कम्पनी का नाम	बिल नं0 व दिनांक	मूल्य	उपकरण की कैलीबरेशन दिनांक / कैलीबरेशन कर्ता का नाम एवं जारी प्रमाण–पत्र का विवरण
1.	रोलर ब्रेक टैस्टर				
2.	साईड स्लिप टैस्टर				
3.	जॉईन्ट प्ले टेस्टर				
4.	हैड–लैम्प टैस्टर				
5.	स्पीडोमीटर टेस्टर				
6.	व्हील एलाईनर सीसीडी / टॉईबार				

7.	इंजन एनालाईजर/स्कैनर				
8.	डीजल स्मीक मीटर (ओपेसिटी मीटर)				
9.	गैसोलीन एनालाईजर (4 गैस एनालाईजर)				

Light & Heavy Motor Vehicle Lane

क्र. सं	उपकरण का नाम	उपकरण निर्माता कम्पनी का नाम	बिल नं0 व दिनांक	मूल्य	उपकरण की कैलीबरेशन दिनांक/कैलीबरेशन कर्ता का नाम एवं जारी प्रमाण–पत्र का विवरण
1.	रोलर ब्रेक टैस्टर				
2.	साईड स्लिप टैस्टर				
3.	सस्पैन्सन टैस्टर				
4.	हैड–लैम्प टैस्टर				
5.	स्पीडोमीटर टेस्टर				
6.	जॉईन्ट प्ले टेस्टर				
7.	व्हील एलाईनर सीसीडी/टॉईबार				
8.	इंजन एनालाईजर/स्कैनर				
9.	डीजल स्मोक मीटर (ओपेसिटी मीटर)				
10.	गैसोलीन एनालाईजर (4 गैस एनालाईजर)				

9. विगत तीन वर्षो के आयकर रिटर्न, पैन कार्ड व जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र का विवरण साक्ष्य के रूप में आयकर रिटर्न, पैन कार्ड एवं जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जावें।

10. केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 126 में निर्धारित एजेन्सी द्वारा उपकरण स्थापन (installation of machinary) के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी ऑडिट किया जा चुका है।

(यदि हां तो ऑडिट की प्रति संलग्न करें।) हां/नहीं

....

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि............................प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र का नाम) का आज दिनांक. ....को निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में परीक्षण केन्द्र पर समस्त उपकरण स्थापित होकर कार्यरत पाये गये है। सभी उपकरणों का कैलीबरेशन किया जा चुका है। इस केन्द्र द्वारा समस्त नियमों/प्राविधानों/निर्देशों की पालन...........(हां/नहीं) किया जा रहा है।

अनुशंसा

....(प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र का नाम) आज दिनांक.................को निरीक्षण उपरान्त परीक्षण केन्द्र के प्राधिकार पत्र को..........(स्वीकृत करने/नवीनीकरण करने/सम्मिलितिकरण करने/स्वीकृत नहीं करने/नवीनीकरण नहीं करने/सम्मिलितीकरण नहीं करने) की अनुशंशा की जाती है।

हस्ताक्षर

1–

2–

हस्ताक्षर

Annex-B

Flow chart for inspection procedure

Verification of vehicle documents at the main gate entrance.

↓

Signing of undertaking by vehicle owner/driver (Administrative Building)

↓

IN file creation by agency management software as per the category of vehicle

↓

Issuance of Token/receipt

↓

Visual Inspection as per Annexure-B and as per form

↓

Vehicle driver will drive the vehicle to the entrance of the lane and hand over the keys to agency driver and waiting in the customer lounge to see his vehicle movement in the lane.

↓

Operator/Lane In charge will check the vehicle registration plate and chassis number as per the documents. Agency driver shall drive the vehicle to the test lane to perform Automated Lane.

↓

Position 1 CV

RFID Authentication of Operator
Idle Emission test (Petrol, LPR, Diesel)
Interior Visual inspection
Exhaust & horn noise test
Speedometer/Speed-governor Test

↓

Position 2 CV

RFID Authentication of Operator
Side Slip Test
Front & Rear Suspension Test
Front, rear & parking brake test
Exterior Visual Inspection

↓

Position 3 CV

RFID Authentication of Operator
Under body visual Inspection
Joint play test
Head light test

↓

Out file generated by Equipments and automatically sent to server of

↓

Test report generated by the Authorised testing Station

↓

Issuance of fitness certificate through VAHAN 4.0

Note:- All result on the computer are hidden. No operator/Inspector is able to see the result of the vehicle weather it is pass/fail. No human intervention.

Annex-C

Initial ☐ Retest ☐

Undertaking of vehicle owner/Authorised driver	Pre-inspection checklist vehicle owners prior to coming for annual fitness/renewal certificate under rules 62 of CMVR at authorised testing station

Vehicle Registration Number-:

Please check the following points

1. Check for oil/Water/Coolant leakages in the vehicle.
2. Please ensure radiator cap is in position and radiator fan is working condition.
3. Check for leakage in battery and fitment of proper battery terminal.
4. Ensure free access to the battery terminal for testing.
5. Check for recommended tyre pressure, Tread wear indicator (TWI) mark (CMV Rule 94) and condition of tyre if it is worn or damaged.
6. Vehicle should be properly washed and cleaned.
7. No part of the body is crashed or broken and no sharp edges and protruding outside the approved dimension of the vehicle.
8. Fuel level should be sufficiently above minimum, for carrying out all the tests.
9. During trail runs, it is noted that the vertical deviation of heading beam in dip mode, is above the horizontal line, where as the same should below the horizontal line.

   Vehicle owners are advised to have their beam angle adjusted as per AIS 123, before coming for testing.
10. There should be no visual obstructions/stickers/paint on light fittings/reflectors/tell tail lights and they are in working order.
11. Check for good condition of wipers, their functioning including condition of windscreen washer spray nozzles.
12. Ensure fitment of SLD, Retro Reflective Tapes as prescribed in CMV Rule 93 & 104.
13. Check for any obstruction by strick/paint etc and an breakage of windscreen safety Glass.
14. Ensure multi tone horn or pressure horns are not fitted in the vehicles.
15. Ensure fitment of front under run protection (FUPD), side under run protection (LUPD) and rear under run protection (RUPD) on all commercial vehicles as per CMV Rule 124.
16. Please note only vehicles in un-laden condition will be allowed for testing.
17. Please ensure fitment and specifications of rear view mirror is as prescribed in Rule 125 of CMVR (i.e as per AIS 001/2001 and AIS 002/2001)
18. It is noticed that in some LCVs and HCVs, hand brake is either not functioning or removed. Such vehicles will not be accepted for testing.
19. In Auto Rickshaw hand brake lever is removed and not functional; speedometer is non functional. Such vehicles will not be accepted for testing.

20. Bring complete vehicle documentation for verification.

21. Show your ID proof e.g. Driving License at counter. This is a mandatory requirement.

I verify all points (From 1 to 21) mentioned above.

Signature of Inspecting person

Important Note:

1. Center may refuse the entry of vehicle to test lane for non-compliance to above points.
2. Please ensure that the vehicle is in good condition for testing. During testing any breakage/damage to the vehicle will be at Vehicle owner's risk.
3. Authorised Testing Station will not be responsible for loss of any valuables/loose articles left in the vehicle.
4. Decision of I&C Center Head for acceptance or refusal for testing the vehicle will be final.

Admin Officer.

I owner/Authorised Driver (name of signature):

Name:...

Signature:...

Mobile

Certify that I have read the above pre-inspection check-list and comply with all the points referred there in and agree to conditions of the note.